

University Grants Commission Act, 1956:—

(i) G.S.R. No. 31(E), dated the 18th January, 1979, publishing the University Grants Commission (Disqualification, retirement and conditions of service of members) (Third) Amendment Rules, 1978.

(ii) G.S.R. No. 32(E), dated the 18th January, 1979, publishing the University Grants Commission (Returns and Information by Universities) Rules, 1979.

[Placed in Library. See No. LT—4457/79 for (i) and (ii)].

Notification of the Ministry of Finance (Department of Revenue and related papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KRIPAL SINHA): Sir, on behalf of Shri Satish Agarwal, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 287(E), dated the 8th May, 1979, alongwith an Explanatory Memorandum thereon.

[Placed in Library. See No. LT—4469/79].

The Urban Land (Ceiling and Regulation) Second Amendment Rules, 1979 and related papers.

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : श्रीमन्, मैं नगर भूमि (अधिनियम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अधीन नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) दूसरा संशोधन नियम, 1979 को प्रकाशित करने वाली निर्माण और आवास मंत्रालय की अधिसूचना सा० का० नि० सं० 271 (ई), दिनांक 27 अप्रैल, 1979 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में), उस पर एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित, सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. LT—4459/79].

Report and Accounts (1977-78) of the Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Limited and related papers

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :—

(क) 1977-78 वर्ष के लिए बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरिक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ii) ऊपर (1) (क) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[Placed in Library. See No. LT—4468/79 for (i) and (ii)].

I. Reports and Accounts (1976-77 and 1977-78) of the Central Institute of Plastics Engineering and Tools, Madras and related papers.

II. Oil Industry (Development) Amendment Rules, 1979.

श्री नरसिंह : श्रीमन् मैं निम्नलिखित पत्रों की भी एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ :

I. (i) 1976-77 के वर्ष के लिए सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टूल्स, मद्रास का नौवा